म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / योजना / 2015–16 / 66 / 3976 भोपाल,दिनांक 4 / 5 / 16

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....

विषयः–मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना–2015 लागू करने बाबत्।

म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रं. डी–15–8 / 2013 / 14–3 दिनांक 7 अप्रेल 2016 द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के सहायतार्थ "मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना–2015" दिनांक 07 / 04 / 2016 से प्रभावशील की गई है। (छायाप्रति संलग्न) योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जावेगा। तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व आंचलिक कार्यालय का होगा।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में योजना का विस्तृत विवरण,पात्रता, चयन, सहायता योजना में अंशदान एवं हितलाभ, वित्तीय व्यवस्था, आदि के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई हैं, योजना के सुचारू संचालन तथा प्रभावी किन्यान्वयन के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

(1) मंडी समिति में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी ही इस योजना के पात्र होगें तथा इसके लिये आवेदन कर सकेगें। वर्ष 2016–17 के लिये मंडी में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीं जो इस योजना में स्वेच्छा से सम्मिलित होना चाहतें है, उनसे निर्धारित प्रारूपों / प्रपत्रो में जानकारी प्राप्त कर पंजीयन संबंधी कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जावेगा।

(2) हितग्राही (हम्माल / तुलावटी) को इस योजना अंतर्गत स्वयं का प्रतिवर्ष अंशदान जो न्यूनतम रूपये 1,000 / – से अधिकतम रू0 2000 / – तक होगा। यह राशि रूपये 100 / – के पूर्ण अंक में होगी। जो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल के पूर्व, मंडी सचिव तथा हितग्राही के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जावेगी।

(3) योजना में मंडी समिति का अनुदान ।हेतग्राही द्वारा जमा राशि का 50 प्रतिशत होगा। जो अधिकतम 1000 / – रूपये होगा। योजना में शामिल हितग्राही की संख्या एवं उनके अशदान के माध्यम से मंडी समिति के अनुदान राशि के लिये बजट प्रावधान किया जावेगा। यह राशि मंडी सचिव एवं हितग्राही के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। हितग्राही द्वारा जमा करायी जाने वाली वार्षिक अंशदान राशि में किसी भी स्थिती में परिवर्तन नही होगा। घोषणा पत्र में जिस राशि की प्रथम वार घोषणा की जायेगी वही राशि प्रतिवर्ष जमा करायी जायेगी।

(4) योजना समाप्ति पर मंडी बोर्ड की रू0 एक हजार प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि संबंधित मंडी सचिव तथा आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मांग पत्र भेजने के पश्चात् मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा संबंधित मण्डी समिति को विमुक्त की जावेगी।

(5) हितग्राही को मंडी बोर्ड की रू0 एक हजार प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता योजना में लगातार 20 वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा कराने की स्थिती में ही होगी। परन्तु योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 05 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर आकस्मिक मृत्यु होने, स्थायी अंपगता एवं असाध्य बीमारी के कारण योजना से पृथक होने की दशा में मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता जितने वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा हुई हैं, उतनी ही होगी।

(6) हितग्राही द्वारा 05 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम अवधि में स्वेच्छा से योजना से पृथक होने की स्थिती में स्वंय की अंशदान राशि तथा मण्डी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता नही होगी।

(7) हितग्राही के योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 05 वर्ष की समयावधि के पूर्व आकस्मिक मृत्यु होने, दुर्घटनावंश स्थायी अंपगता एवं असाध्य बीमारी होने की दशा में केवल स्वंय की अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी।

(8) बैंक संयुक्त खाते में जमा कराई गई हितग्राही वार्षिक अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि को प्रतिवर्ष अधिकतम ब्याज दर पर सावधि खाते में वेष्ठित की जावेगी। इस राशि में से किसी भी दशा में आहरित नही किया जावेगा। योजना समयावधि पूर्ण होने पर ही अंतिम आहरण किया जावेगा। अंतिम आहरण स्वीकृति आदेश संबंधित आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा जारी किये जायेगें।

(9) संबंधित मंडी समितियों द्वारा योजना में सम्मिलित हितग्राहियों का पंजीयन पृथक से किया जावेगा। तथा उन्हें यूनिक आईडेटिफिकेशन नम्बर दिया जावेगा।

(10) लेखांकन प्रकिया से संबंधित समस्त अभिलेख मंडी समिति द्वारा संधारित किये जावेगे। हितग्राहीवार नस्ती पृथक–पृथक संधारित की जावेगी। जिसमें आवेदनपत्र, सहित आवश्यक दस्तावेज रखे जावेगें तथा हितग्राही वार लेजर तैयार किया जावेगा जिसमें हितग्राही अंशदान, मंडी समिति अंशदान तथा मंडी बोर्ड का एक मुश्त अनुदान एवं बैंक द्वारा बचत/सावधि जमा खाते पर देय ब्याज की प्रविष्टियॉ की जावेंगी। इसके अतिरिक्त इस पंजी पर योजना की समयावधि पूर्ण होने पर देय राशियों की गणना की जावेगी। हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु होने पर भुगतान योग्य राशियों की गणना भी की जावेगी जिस पर प्रभारी कर्मचारी एवं मंडी सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(11) योजना पूर्ण होने पर अंतिम आहरण स्वीकृति आदेश संबंधित आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जायेगें। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि का आवंटन संबंधित हितग्राही की योजना पूर्ण होने की दिनांक से तीन माह पूर्व संबंधित मंडी सचिव एवं आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा मांग पत्र मंडी बोर्ड मुख्यालय भेजा जायेगा। तदनुसार मंडी बोर्ड द्वारा एकमुश्त सहायता राशि विमुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(12) मंडी समितियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रतिवर्ष संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय को भेजी जावेगी। आंचलिक संयुक्त संचालक द्वारा समस्त मंडी समितियों से प्राप्त जानकारी का समेकित संख्यात्मक विवरण बोर्ड मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवर्ष भेजा जावेगा।

योजना के संबंध में संलग्न प्रारूप प्रेषित किये जा रहे है। योजना में सम्मिलित होने वाले हम्माल तुलावटियों से पूर्ती कराकर कार्यवाही संम्पादित कराई जावे।

संलग्नः– 1–प्रपत्र 01 से 08 तक
2–शासन की अधिसूचना दिनांक 07.04.16

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/योजना/2015–16/66/3977 भोपाल,दिनांक 4/5/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
(02) अपर संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(03) अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मंडी समिति................................ (समस्त) जिला..........
(04) ....आदेश नस्ती/कार्मिक शाखा/विधि शाखा/सर्तकता शाखा/ प्रांगण शाखा/लेखा शाखा/ गार्ड फाइल।

संलग्नः– 1–प्रपत्र 01 से 08 तक
2–शासन की अधिसूचना दिनांक 07.04.16

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रपत्र – 01

कृषि उपज मंडी समिति

........................जिला ....

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल–तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना–2015

आवेदन–पत्र

पति एवं पत्नी का संयुक्त फोटो

(1) आवेदक का नाम– ....

(2) पिता का नाम– ....

(3) स्थाई पता – ....

(4) वर्तमान पता – ....

(5) मोबाईल नम्बर– ....

(6) जन्मतिथि – ....

(7) आवेदन दिनांक को आयु– वर्ष................................ माह..

(8) लायसेंस का प्रकार– हम्माल / तुलावटी

(9) लायसेंस का कमांक एवं दिनांक– ....

(10) लायसेंस की वैधता– ....

(11) शासकीय चिकित्सालय का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र– कमांक .... दिनांक..........................

(12) स्वयं के अंशदान की राशि– रूपये................................(शब्दों में)...........................

हितग्राही / आवेदक के हस्ता0

नाम

–:घोषणा–पत्रः–

मैं ....आत्मज श्री ....निवासी.....................घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, यदि इसमे किसी प्रकार की जानकारी गलत/असत्यता पाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

मैं इस योजना में स्वच्छा से सम्मिलित होना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रतिवर्ष स्वेच्छा अंशदान की राशि रूपये..30 अप्रैल तक जमा करने की सहमति दी जाती है।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम

हस्ता0 आवेदक

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूचीः–

1– आयु के संबंध में सक्षम प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
2– निवास के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
3– पहचान के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति
4– मंडी का वैध लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति
5– शासकीय चिकित्सायल द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूलतः)

–:योजना में सम्मिलित होने के लिये सहमति पत्रः–

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी ....आत्मज/आत्मजा श्री .... पता ....जो कि कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....में ....लायसेंसी के रूप में कार्यरत है, मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति हम्माल/तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 में स्वेच्छा से सम्मिलित होने की सहमति देता हूँ।

स्थान .... हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम

गवाह के हस्ता. का नाम पता

–:हितग्राही अंशदान राशि का सहमति पत्रः–

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी ....आत्मज/आत्मजा श्री .... पता ....जो कि कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....में लायसेंसी के रूप में कार्यरत है, मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति हम्माल/तुलावटी लायसेंसी हूँ। योजना अंतर्गत मेरे द्वारा स्वयं का हितग्राही अंशदान राशि रूपये ....शब्दो में .... (न्यूनतम रूपये 1000/–तथा अधिकतम रूपये 2000/–) प्रतिवर्ष 10 अप्रैल से पूर्व मंडी समिति कार्यालय में नियमित रूप से जमा कराने की सहमति देता हूँ।

स्थान .... हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम

प्रपत्र– 02

–:परिवार के सदस्यों का विवरण :–

(जीवित पत्नि, पुत्र एवं पुत्री का विवरण)

परिवार के सदस्यों का **नाम**

1. नाम पत्नि ....आयु ....

2.नाम पुत्र/पुत्री .... आयु ....

हितग्राही के हस्ताक्षर/नाम

प्रपत्र– 03

—:नामांकन—पत्रः—

(1) हितग्राही का नाम ....(2) हितग्राही की योजना के दौरान मृत्यु होने की दशा में देय राशि प्राप्त करने हेतु पति/पत्नि का नाम. ....

(3) पति/पत्नि के जीवित न होने की दशा में अन्य नामांकित का नाम एवं संबंध

(40) नांमाकित व्यक्ति का नाम एवं देय संबंध राशि के भुगतान की पात्रता................ (प्रतिशत में)

हस्ताक्षर

नाम

गवाह के हस्ता. का नाम पता

स्थान ....

दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

....

प्रपत्र– 04

कृषि उपज मंडी समिति ....जिला ....

हम्माल/तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 अंतर्गत योजना में सम्मिलित हम्माल/तुलावटी की वर्ष ....की जानकारी

दिनांक ....की स्थिति में

	हम्माल/तुलावटी का नाम	पिता का नाम	आयु	लायसेंस का प्रकर (हम्माल/तुलावटी)	लायसेंस कं/दि	योजना में पंजीयन कं.	हितग्राही द्वारा जमा वार्षिक अशंदान राशि	मंडी समिति द्वारा जमा वार्षिक अनुदान राशि	कुल राशि	बैंक का नाम/शाखा	खाता कं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						योग					

स्थान

मंडी सचिव के हस्ता0

दिनांक

नाम

प्रपत्र – 05

संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ....

मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल तुलावटी वृद्धवस्था सहायता योजना 2015 की वर्ष की जानकारी,

दिनांक ....की स्थिति में

क	मंडी समिति का नाम	जिला	योजना में सम्मिलित हितग्राहियों की संख्या			हितग्राहियों द्वारा मंडी समति में जमा हितग्राही अंशदान की कुल राशि	मंडी समिति द्वारा जमा वार्षिक अनुदान की कुल राशि	हितग्राही अंशदान एवं मंडी अनुदान की कुल राशि
			हम्माल	तुलावटी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान

दिनांक

आंचलिक प्रभारी के हस्ता0

नाम

प्रपत्र – 06

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....

कमांक / दिनांक:

अंतिम आह्रण स्वीकृति आदेश

श्री ....आत्मज / आत्मजा श्री .... मंडी समिति .... जिला .... में हम्माल / तुलावटी लायसेंसी के रूप में दिनांक .... को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल / तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 में हितग्राही द्वारा जमा अंशदान राशि, मंडी समिति की अनुदान राशि तथा मंडी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि देय ब्याज सहित रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री .... का लायसेंस कमांक .... तथा योजना में पंजीयन कमांक .... है।

संयुक्त / उप संचालक के हस्ता0
एवं नाम

प्रपत्र – 07

कृषि उपज मंडी समिति ....जिला ....
मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015–हितग्राही लेजर

हितग्राही का फोटो

1– हितग्राही का नाम/पता ....
2– पिता का नाम ....
3– अनुज्ञप्ति का प्रकार ....
4– अनुज्ञप्ति का कमांक
5– सहायता योजना का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....
6– नामांकित व्यक्ति का नाम एवं उससे संबंध ....
7– हितग्राही का वार्षिक अंशदान ....
8– बैंक का नाम एवं खाता क. ....

क.	हितग्राही का अशदान वर्ष	जमा करने का दिनांक	अंशदान राशि	मंडी समिति की अनुदान राशि	कुल राशि (4+5)	बैंक में जमा दिनांक	बैंक द्वारा देय ब्याज राशि (बचत एवं सावधि)	कुल राशि (6+8)	प्रोग्रेसिव राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2016–17								
2	2017–18								
3	2018–19								
4	2019–20								

1– योजना समयावधि पूर्ण होने का दिनांक ....
2– योजना पूर्ण होने पर भुगतान योग्य राशि का विवरणः–
(1) हितग्राही अंशदान एवं मंडी अनुदान की ब्याज सहित कुल राशि ....
(2) योजना की कुल समयावधि .... वर्ष..................................
(3) मंडी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि रूपये ....
(4) हितग्राही को कुल भुगतान योग्य राशि रूपये..
3– हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में भुगतान योग्य राशि का विवरणः–

हस्ताक्षर शाखा प्रभारी **हस्ताक्षर मंडी सचिव**

प्रपत्र – 08

मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि माँग पत्र

श्री ....आत्मज ....मंडी समिति .... जिला ....में हम्माल/तुलावटी लाइसेंसी के रूप में कार्यरत है। इनकी 60 वर्ष की आयु दिनांक ....को पूर्ण होने जा रही है। श्री ....द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2015 में नियमित रूप से वर्ष ....से वर्ष .... तक वार्षिक हितग्राही अंशदान की राशि रूपये ....प्रतिवर्ष की दर से जमा कराई गई है। योजना में समयावधि ....वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तदानुसार मंडी बोर्ड की वार्षिक एक मुश्त सहायता राशि रूपये ....प्रतिवर्ष के मान से कुल राशि रूपये ....शब्दो में रूपये ....की पात्रता है।

अतः राशि रूपये ....विमुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ता./नाम सचिव	हस्ता./नाम संयुक्त संचालक
कृषि उपज मंडी समिति.............	म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
जिला	आंचलिक कार्या........................

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016—चैत्र 18, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र.डी-15-8/2013/14-3 :— मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (नौ) एवं धारा 44 की उपधारा (ग्यारह) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम, जिन्हे उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है अर्थातः-

—:: नियम ::—

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना -

01- यह योजना "मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृध्दावस्था सहायता योजना-2015 कहलाएगी।

02- यह योजना मध्यप्रदेश राज्य की सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटियों के लिए प्रभावशील होगी।

03- यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

04- यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावशील होगी, जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी हैं।

(ख) परिभाषाएं -

01- "अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी" से अभिप्राय ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से हैं जिसने म0प्र0कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31 एवं 32 के अधीन हम्माल एवं तुलावटी के रुप में अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो और वह मण्डियों मे निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्त्रोत से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हो।

02- "हितग्राही" से अभिप्राय योजना में सम्मिलित होने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी से है।

03- "हितग्राही वार्षिक अंशदान" से अभिप्राय हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि।

04- "मण्डी समिति वार्षिक अनुदान" से अभिप्राय मण्डी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि।

05- "एक मुश्त सहायता राशि" से अभिप्राय, हितग्राही की निर्धारित योजना अवधि पूर्ण होने पर या हितग्राही की 5 वर्ष के पश्चात् आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की स्थिति में, मण्डी बोर्ड द्वारा रूपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से दी जाने वाली एक मुश्त सहायता राशि।

06- "मण्डी समिति" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी समिति।

07- "बोर्ड" से अभिप्राय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

08- "मण्डी निधि" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-38 के अंतर्गत मण्डी समिति में अर्जित राशि।

09- "बोर्ड निधि" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-43 के अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि में अर्जित राशि।

ग) <u>योजना का विवरण</u> -

यह योजना, म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अधीन मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिए होगी। जो मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी समिति हम्माल/तुलावटी वृध्दावस्था सहायता योजना-2015 के नाम से जानी जावेगी।

(घ) <u>पात्रता</u>

मण्डी समितियों में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा।

(ङ) <u>चयन</u>

योजना के अंतर्गत पात्र अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में जानकारी एवं उसमें स्वयं के अंशदान की राशि प्रतिवर्ष जमा करने का सहमति पत्र, नामांकन पत्र तथा अन्य दस्तावेज, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर सहायता योजना के प्रावधानों के अनुरुप चयन किया जावेगा।

(च) <u>सहायता योजना में अंशदान एवं हितलाभ</u>

योजना के अंतर्गत चयनित पात्र हितग्राही (हम्माल एवं तुलावटी) को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् उसके द्वारा जमा की गई अंशदान राशि, मण्डी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा योजना के अंतर्गत मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि एवं अर्जित ब्याज सहित राशि एकमुश्त प्राप्त होगी।

01- हितग्राही का अंशदान

योजना के अंतर्गत हितग्राही को न्यूनतम रूपये 1000/- से अधिकतम रूपये 2000/- तक प्रतिवर्ष अंशदान जमा करना होगा।

02- हितग्राही के हितलाभ

(i) हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष अंशदान राशि जमा करने पर जमा अंशदान राशि की 50% राशि (अधिकतम रूपये 1000/- प्रतिवर्ष) संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में जमा की जाएगी।

(ii) हितग्राही की 60 वर्ष की आयु के पश्चात्, न्यूनतम योजना अवधि पूर्ण होने पर बोर्ड द्वारा रूपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से एक मुश्त सहायता राशि हितग्राही को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) हितग्राही को योजना अवधि पूर्ण होने पर हितग्राही द्वारा जमा की गई अंशदान राशि, मण्डी समिति द्वारा जमा की गई वार्षिक अनुदान राशि, अर्जित ब्याज तथा योजना अवधि के मान से मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(छ) <u>योजना का विवरण</u>

(1) हितग्राही के मण्डी समिति में कार्य करते हुए 60 की आयु पूर्ण करने पर, तथा स्वयं के अंशदान की राशि कम से कम 5 वर्षो तक नियमित रूप से प्रतिवर्ष लगातार जमा करने पर उसे मण्डी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली अनुदान राशि की पात्रता होगी। यदि 5 वर्ष से कम अवधि में हितग्राही, योजना से पृथक हो जाता हैं, अथवा नियमित वार्षिक अंशदान जमा नही करता हैं तो स्वयं का हितग्राही अंशदान तथा मंडी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की गई सम्पूर्ण अनुदान राशि मण्डी समिति द्वारा राजसात की जा सकेगी।

(2) हितग्राही द्वारा अंशदान नियमित (वार्षिक) जमा करते हुए 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् किसी कारणवश योजना से पृथक होने पर उसे स्वयं के अंशदान तथा मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि देयता की पात्रता होगी।

(3) हितग्राही द्वारा योजना में कम से कम 20 वर्ष तक अंशदान जमा कराने के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती हैं अथवा निर्धारित आयु पूर्ण करने के पूर्व किसी कारणवश 20 वर्ष पश्चात् योजना से पृथक हो जाता हैं तो उसे वार्षिक हितग्राही अंशदान, वार्षिक मंडी समिति अनुदान तथा अर्जित ब्याज के

अतिरिक्त रूपये 1000/- प्रतिवर्ष की दर से "मंडी बोर्ड एकमुश्त सहायता राशि" की पात्रता भी होगी। इस सम्पूर्ण राशि का भुगतान उसे योजना अवधि पूर्ण अथवा समाप्त होने पर देय होगा।

(4) हितग्राही को मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता 20 वर्ष से अधिक अवधि तक योजना में सम्मिलित होने की दशा मे ही होगी अर्थात उसके द्वारा कम से कम 20 वार्षिक हितग्राही अंशदान जमा किये जाना अनिवार्य होगा।

(5) हितग्राही द्वारा 5 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम (अर्थात 5 से 20 वार्षिक अंशदान से कम) अवधि में योजना से स्वेच्छा से पृथक होने की स्थिति में, उसे स्वंय की अशंदान राशि, मंडी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज सहित कुल राशि का भुगतान किया जावेगा। उसे मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता नही होगी।

(6) हितग्राही के योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 5 वर्ष की समयावधि के पूर्व आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटनावश स्थाई अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में उसे पात्रतानुसार स्वंय के अशंदान, मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज की सम्पूर्ण राशि की देयता की पात्रता होगी।

(7) हितग्राही के 5 वर्ष की समयावधि के पश्चात् आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटनावश स्थाई अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में उसे पात्रतानुसार स्वंय के अशंदान, मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज की सम्पूर्ण राशि तथा रूपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की देयता की पात्रता होगी। मृत्यु/स्थाई अपंगता/असाध्य बीमारी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी/चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) हितग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को पात्रता अनुसार देय राशियां भुगतान की जावेगी। यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, तो उन्हें समान रूप से राशि

विभाजित कर भुगतान की जावेगी। नामांकन न होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र के आधार पर देय राशियों का भुगतान किया जावेगा ।

(9) योजनान्र्तगत हितग्राही तथा संबंधित मण्डी समिति के सचिव का संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में, यदि राष्ट्रीयकृत बैंक नही हैं तो सहकारी बैंक की शाखा में खोला जावेगा। उसके वार्षिक अंशदान की राशि तथा मण्डी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि को सम्मिलित कर, कुल राशि को अधिकतम बैंक ब्याज दर पर प्रतिवर्ष सावधि जमा के रूप में विनियोजन करने का अनुबंध कृषि उपज मंडी समिति द्वारा खाता खोलते समय संबंधित बैंक से किया जायेगा। योजना अवधि के दौरान राशि का आहरण/निकासी/समय पूर्व नगदीकरण किसी भी स्थिति में नही किया जा सकेगा।

(10) मण्डी अधिनियम/नियम/उपविधि के अंर्तगत हम्माल/तुलावटी के द्वारा किये गये किसी अनैतिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर, मण्डी समिति द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त/समाप्त की जाती हैं तो उसे योजना से पृथक कर दिया जावेगा, ऐसी स्थिति में उसे मात्र उसके द्वारा जमा अंशदान राशि का ही भुगतान किया जावेगा। मंडी समिति की अनुदान राशि एवं मंडी बोर्ड की सहायता राशि तथा अर्जित ब्याज राशि की पात्रता नही होगी। इस प्रकार हितग्राही के बैंक खाते में जमा राशि को उसकी अंशदान राशि के भुगतान पश्चात् शेष राशियां मण्डी निधि/बोर्ड निधि में अंतरित की जावेगी।

(ज) <u>योजना मे सम्मिलित होने की प्रक्रिया</u> :-

(1) हम्माल एवं तुलावटी जिस मण्डी में अनुज्ञप्तिधारी होगा, उसी मण्डी समिति की योजना में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) सचिव मण्डी समिति प्रत्येक हितग्राही का बैंक में संयुक्त खाता पृथक संधारित करेगा।

(3) हितग्राही को आवेदन के साथ मण्डी समिति द्वारा चाही गई जानकारी एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) हितग्राही का बैंक में खोला गया खाता फ्रीज खाता होगा। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति के बिना इस खाते से राशि आहरित नही हो सकेगी।

(5) हितग्राही को परिवार के सदस्यों जिसमें उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियों का विवरण देना अनिवार्य होगा। यदि योजना की अवधि के दौरान हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो योजना के अंर्तगत मिलने वाली राशि उसकी पूर्व की घोषणानुसार पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को दी जावेगी।

(6) हितग्राही द्वारा योजना की सदस्यता के समय शासकीय चिकित्सालय का शारीरिक स्वस्थ्यता संबंधी "चिकित्सा प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हितग्राही के गंभीर/असाध्य बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में योजना की सदस्यता के लिये पात्र नही होगा।

(7) हितग्राही के बैंक में खोले गए फ्रीज खाते से अंतिम आहरण करने की स्वीकृति/अनुमति के लिए आंचलिक संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा।

(8) हितग्राही सहायता योजना में एक बार ही सम्मिलित हो सकेगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पश्चात् वह पुनः इस योजना में शामिल नही हो सकेगा।

(झ) <u>योजना की वित्तीय व्यवस्था</u> :-

हितग्राही को दी जाने वाली मण्डी समिति की वार्षिक अनुदान राशि, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-38 एवं मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-43 के अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि में अर्जित धनराशि से व्यय होगी।

(य) <u>योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एवं पर्यवेक्षण</u> :-

(1) **योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन**

योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन का कार्य संबंधित मण्डी समितियों द्वारा किया जावेगा। तत्संबंधी अभिलेखों का समुचित रख-रखाव तथा लेखांकन प्रक्रिया पृथक से रखी जावेगी।

(2) **योजना का पर्यवेक्षण**

पर्यवेक्षण आंचलिक संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा किया जावेगा। योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी समिति का संयुक्त रूप से होगा। मण्डी बोर्ड द्वारा संभागवार एवं मण्डीवार योजना का पर्यवेक्षण किया जावेगा। योजना के सुचारू संचालन के लिए मण्डी समितियों से एकजाई जानकारी आंचलिक संयुक्त संचालक के माध्यम से नियमित रूप से प्राप्त की जाकर पर्यवेक्षण किया जावेगा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिया जावेगा जिससे योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न हो सके।

(झ.) <u>विसंगति का निवारण</u> :-

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता हैं इस हेतु प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड अधिकृत होंगे। इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती हैं उस स्थिति में प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

NO. D-15-8/2013/14-3 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) of Section 79 read with clause (ix) of section 39 and sub section (xi) of section 44 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby makes the following rules and the same have been previously published as required by sub-section (1) of Section 79 of the Act, namely :-

RULES

A .Short title, extent and application :-

(1) This scheme shall be called " Mukhyamantri Krishi Upaj Mandi Hammal and Tulavati Vridhavastha Sahayata Yojna,2015 " .

(2) This scheme shall be applicable to the Hammal/Tulavati working in all Krishi Upaj Mandi Samities in the state of Madhya Pradesh.

(3) This scheme shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh State's Gazette.

(4) This scheme shall be applicable to Hammal/Tulavati and dependents of their family who are the licensee Hammal/ Tulavati of the age of 18 to 55 years in the Mandi Samiti as per provisions of mandi Bye-laws.

B. Defination's :- In this scheme, unless context otherwise requires,-

(1) **"Licenced Hammal and tulavati** "means such licensed person who have obtained licence as hammal / tulavati under section 31 and 32 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 and are doing the prescribed work in the Mandi Samiti and who are not receiving salary from any other source;

(2) **"Beneficiary"** means licensed hammal / tulavati to be included in the scheme;

(3) **"Beneficiary's annual contribution"** means the amount to be deposited per year by the Beneficiary ;

(5) **"Mandi samiti's annual grant"** means amount to be deposited per year by the Mandi Samiti ;

(5) **"Lump-sum aid"** means a lump-sum amount to be paid at the rate of 1000/-per year by the mandi Board on completion of stipulated scheme term or in the case of accidental death/ permanent disability/incurable disease caused to the beneficiary after five years;

(6) **"Mandi Samiti"** means Krishi Upaj Mandi Samiti ;

(7) **"Market fund"** means the amount earned in Mandi Samiti under section 38 of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972;

(8) **"Board"** means the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board;

(9) **"Board fund"** means the amount earned in the State Marketing Development Fund under section 43 of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

C. Details of the Scheme :-

This scheme shall be for the licensed Hammal / Tulavati of the Mandi Samiti under section 31 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972 which shall be known as " Mukhyamantri Krishi Upaj Mandi Samiti Hammal and Tulavati Virdhavastha Sahayata Yojna,2015 ".

D. Eligibility

(1) The licensed Hammal / Tulavati shall be eligible for this scheme who are the age of 18 to 55 years and who are working in the Mandi Samiti .

(2) The licensed Hammal / Tulavati having eligibility under the scheme shall be benefited in this scheme on completion of 60 Years of age or in the case of accidental death / permanent / disability / incurable disease of the beneficiary.

E. Selection

The selection of the eligible licensed Hammal / Tulavati under the scheme shall be made, as per the provisions of this Assistance scheme and on submission of an application as prescribed by the Board along with the consent letter regarding depositing the amount of own contribution annually, nomination letter and other documents to the Secretary, Krishi Upaj mandi Samiti.

F. Contribution and benefit to be distributed in this assistance scheme

Under this scheme the eligible beneficiary (Hammal / Tulavati) after the completion of 60 years of age shall receive in lump-sum, the amount deposited by him, annual grant of Mandi Samiti and lump-sum assistance amount of Board under the scheme along with the interest earned.

01. Contribution of the Beneficiary:-

Under the scheme the beneficiary shall have to deposit the contribution, which would be minimum Rs.1000/- and maximum Rs.2000/- annually.

02. Benefit of the Beneficiary:-

(i) On depositing of the amount of annual contribution by the beneficiary, the 50 percent amount of the contribution deposited (to a maximum of rupees 1000/- annually) shall be deposited by the concerned Krishi Upaj Mandi Samiti as annual grant.

(ii) After the 60 years of age of the beneficiary, on the completion of minimum period of scheme, a lump-sum assistance amount

at the rate of Rs.1000/- per year shall be provided to the beneficiary by the Board.

(iii) On the completion of scheme period the beneficiary, shall have eligibility to receive the contribution amount deposited by the beneficiary, annual grant deposited by the Mandi Samiti, interest earned and lump-sum amount of assistance of the Board according to the scheme period.

G. Particulars of the scheme

(1) Working in a Mandi Samiti and on completion of 60 years as well as depositing continuously self contribution for a minimum of five years the beneficiary shall be entitled for the amount of grant deposited annually by the Mandi Samiti. But, if the beneficiary isolates himself from the scheme, in the period which is less than five year of joining or does not deposit annual contribution regularly then, Mandi Samiti will be able to forfeit, the entire contribution deposited by the beneficiary and the whole amount of grant deposited annually by mandi Samiti.

(2) Beneficiary depositing regular contribution for five years and then leaving/isolating from the scheme shall be entitled to receive the entire contribution deposited along with the annual amount of grant of Mandi Samiti and the interest earned.

(3) Beneficiary depositing regular contribution for minimum of Twenty years and then attain the age of 60 years and or before attaining the prescribed age of 60 leaves / isolates from the scheme shall be entitled to receive the in addition to entire contribution deposited along with the annual amount of grant of Mandi Samiti and the interest earned, Rs 1000/- per year " Mandi Board's lump-sum assistance money". The payment of this whole amount shall be payable to the beneficiary on completion or expiry of the scheme period.

(4) The beneficiary shall have the eligibility of lump-sum grant of Mandi Board only in the case of being participant of the

scheme for the period more than 20 years i.e. it shall be compulsory for him to have deposited his minimum of 20 annual contributions in the scheme.

(5) In the case of beneficiary's willing isolation from the scheme in the period of more than 5 years and less than 20 years (i.e. more than 5 and less than 20 annual contribution), then the beneficiary he shall be paid his own amount of contribution, annual grant amount of Mandi Samiti along with the interest earned, but shall not have the entitlement of lump-sum assistance amount of Mandi Board.

(6) In case of beneficiary who has joined the scheme, but has died in an accidental and or has become permanently disabled and or has contacted incurable disease before the term of 5 years in the scheme has been completed, the beneficiary, as per eligibility, shall have the entitlement for getting his own contribution, annual amount of grant of Mandi Samiti along with whole amount of interest earned.

(7) In the case of beneficiary's accidental death/permanent disability due to accident / contacting incurable disease, after completing the term of 5 years in the scheme, the beneficiary shall have the eligibility to get his own contribution, annual amount of grant of Mandi Samiti and whole amount of interest earned along with lump-sum assistance of Board at the rate of Rs.1000/- per year. However, in the case of death/permanent disability/incurable disease it shall be compulsory to produce the medical certificate of the competent authority/hospital.

(8) In the case of beneficiary's death, the payable amount shall be paid to the person nominated by the beneficiary according to eligibility. If the nominated person is more than one, then the total amount payable shall be equally divided among the persons nominated. In the case where nomination has not been done, the payable amount shall be paid on the basis of succession certificate issued by the competent officer.

(9) Under the scheme, a joint account of beneficiary and the Secretary of the concerned Mandi Samiti shall be opened in Nationalised Bank and if there is no Nationalised Bank then it shall be opened in the branch of Co-operative Bank. An agreement shall be made by the Krishi Upaj Mandi Samiti with the concerned Bank at the time of opening the account for appropriation of the total amount including the amount of beneficiary's annual contribution and annual amount of grant of the Mandi Samti at as fixed deposit at the maximum Bank interest rate. During the scheme period withdrawal / clearance / premature encashment will not be made in any condition.

(10) If under the Mandi Act/Rules/bye-laws, due to illegal activity the licence of Hammal/Tulavati has been cancelled/terminated by the Mandi Samiti, in such a case the said Hammal / Tulavati will be isolated from the scheme and in such a situation the said Hammal /Tulavati shall be paid only the amount of contribution deposited by him and shall not have the entitlement for the assistance amount of Mandi Samiti, the assistance amount of Board and the interest earned. Thus out of the amount deposited in the account of beneficiary after the payment of his contribution amount the remaining amount shall be transferred to Market Fund / Board Fund.

H. Procedure to join the scheme:-

(1) The Hammal / Tulavati can apply in prescribed form to join the scheme to the Mandi Samiti of which they are licence holder ;

(2) The Secretary Mandi Samiti shall maintain a separate joint account of each beneficiary in the Bank;

(3) It shall be compulsory for the beneficiary to produce the information and documents etc. required by the Mandi Samiti ;

(4) The account opened by the beneficiary in the bank shall be freeze account. No money can be withdrawn from this account without the prior sanction/permission of the competent officer.

(5) It shall be compulsory for the beneficiary to give detail of his family members in which his wife, son, and daughter's are included. In the case of accidental death of the beneficiary during the scheme period, the amount to be give under the scheme shall be gives to the person(s) eligible according to his previous declaration.

(6) It shall be compulsory for the beneficiary to produce "medical certificate" of the Government Hospital regarding physical fitness, at the time of obtaining the membership of the scheme. In case of beneficiary is suffering from critical/incurable disease he shall not be eligible for membership of the scheme.

(7) Regional Joint Director, Mandi Board shall be the competent authority for sanction/permission for final withdrawal from the freeze account of the beneficiary opened in the bank.

(8) The beneficiary can join the scheme only once. After getting benefit under the scheme, he can't join this scheme again.

I. Financial arrangement of the scheme

The annual amount of grant to given by the Mandi Samiti to the beneficiary shall be paid from the amount earned Market Fund created under the provisions of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972 Section 38 and the lump-sum assistance amount of Mandi Board shall be paid from the amount earned in the State Marketing Development Fund created as per the provisions of Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972 Section 43.

J. Implementation and Operation and Supervision of the scheme

(1) Implementation and operation of the scheme shall be done by the concerned Mandi Samiti and shall properly maintain and keep all accounting and related records separately.

(2) Supervision shall be made by the office of the Regional Joint Director. The responsibility of complete implementation of the scheme shall be of Regional office and Mandi Samiti jointly. Division wise and market wise supervision of the scheme shall be made by the Mandi Board. For smooth operation of the scheme supervision shall be made by obtaining compiled information through Regional Joint Director, regularly and necessary guidance shall be given from time to time so that there shall be no difficulty in the implementation of the scheme.

K. Removal of discrepancy

Modification may be made in the conditions/rules and provision of benefit mentioned in the scheme, for which the Managing Director, Mandi Board shall be authorised. If any discrepancy arises in this regard then the decision of Managing Director of the Board shall be final.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.